

9/11/17

पत्रावली पेश हुई। वकील उमपदमकारण
उप०। चूँकि मूल वाद में वादीगण वकील
द्वारा Note-press किया जा चुका है। अतः
आवेदन को आगे चलाने का कोई को विचार
नहीं रहता है। अतः न्यायालय द्वारा
जारी स्वयं आवेदन दि: 19/3/15 की अगामी
कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर
आवेदन का भारीत किया जाता है। पत्रावली
के साथ सुनार होकर 4 दिवस अन्दर ही
लेखा ले। अथवा अन्य।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O) बीहड़